कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रॉक:– /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़,04 ~~सितम्बर,~~ 2021।
अक्टूबर

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:– जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट के अंतर्गत ऐंचोली बड़ाबे मोटर मार्ग के किमी0 13.00 पत्थरखानी से सेलकटिया, डुबलिया, विजरकाण्डा, धुईरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.847 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 858/X-3-20/1(94)/2020, दिनांक 07.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार है:–

S.NO.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आसपास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निधारित राशि जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जा चुकी है।
3.	प्रयोक्ता अभिकारण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जता की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 मान्य है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3 /2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉमप्लेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियां का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एन0पी0वी0, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	भू–वैज्ञानिक की शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के समस्त अभिलेख संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में नीहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 07 मान्य है।
8.	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– 1407 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर कालोनी, देहरादनू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः 1540 /X-3-21/1(94)/2020

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फारेस्ट कालोनी, इन्दिरानगर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2959
9.12.21

वन अनुभाग–03

देहरादूनः दिनांकः 02 दिसम्बर, 2021

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ में ऍचोली बड़ाबे मोटर मार्ग के किमी0 13.00 पत्थरखानी से सेलकटिया, डुबलिया, विजरकाण्डा, धुईरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.847 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1121/FP/UK/ROAD/42084/2020, दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश संख्या-858/X-3-20/1(94)/2020, दिनांक–07.08.2020 में अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपदपिथौरागढ़ में ऍचोली बड़ाबे मोटर मार्ग के किमी0 13.00 पत्थरखानी से सेलकटिया, डुबलिया, विजरकाण्डा, धुईरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.847 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर0सी0सी0 पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर फारवर्ड तथा बैक बियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
6. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना/सड़क के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।

क्रमशः 2

<u>संख्याः 1590 (1)//X-3-21/1(94)/2020, तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
8. जिला पंचायत अध्यक्ष, पिथौरागढ़।
9. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–1455 /FP/UK/ROAD/42084/2020 :देहरादून:दिनांक: 10 दिसम्बर,2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश की प्रति प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन द्वारा आपके वृत्त के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में शासनादेश निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश की प्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क्र0 सं0	जनपद एवं परियोजना का नाम	ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या	शासनादेश संख्या एवं दिनांक
1.	जनपद–पिथौरागढ़ में ऍचोली बड़ाबे मोटर मार्ग के किमी0 13.00 पत्थरखानी से सेलकटिया, डुबलिया, विजरकाण्डा, धुईरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.847 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	FP/UK/ROAD/42084/2020	1590/X-3-21/1(94)/2020 दिनांक 02.12.2021

संलग्न–यथोपरि

for [signature]
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।